



2026:AHC:172225-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2208 वर्ष 2024

महेंद्र कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : डी.पी. सिंह, सुहेल अहमद आज़मी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आजाद राय, अंशुल कुमार
सिंघल, अभिषेक कुमार जायसवाल

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेंद्र

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.पी. सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, ग्राम सभा की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय और प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल कुमार सिंघल को सुना गया।
- जनहित में यह याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रयागराज (डी.पी.आर.ओ) द्वारा दी गई दिनांक 21.06.2024 की आख्या के अनुक्रम में प्रतिवादी संख्या 7 और 9 के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए योजित की गई है।
- रिट याचिका में यह अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 9 ने, ग्राम प्रधान होने के नाते, अपने पद का दुरुपयोग किया और उनके द्वारा कानूनी रूप से किए जाने वाले विकास कार्यों में धन का गबन और दुरुपयोग किया और यहाँ तक कि श्रमिकों को देय मजदूरी भी उनके बेटे विपिन सिंह के बैंक खाते में स्थानांतरित करवा दी गई।
- जब यह वाद दिनांक 21.11.2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो रिट याचिका में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके साथ संलग्न सामग्री को देखते हुए,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को डी.पी.आर.ओ. द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में की गई कार्रवाई के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था, क्योंकि डी.पी.आर.ओ. ने आठ विसंगतियों को इंगित किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ग्राम पंचायत की राशि का गबन करने के लिए प्रतिवादी संख्या 7 और 9 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।

5. उक्त आदेश के अनुक्रम में, स्थायी अधिवक्ता द्वारा डी.पी.आर.ओ. द्वारा दी गई एक अन्य आख्या दिनांक 12.08.2024 के साथ निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाया गया था कि उनके द्वारा पूर्व की आख्या दिनांक 21.06.2024 में इंगित आठ बिंदुओं पर एक नई जांच की गई थी और सब कुछ ठीक पाया गया था, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

6. अनुदेशों में लिए गए रुख के आधार पर, न्यायालय ने दिनांक 04.02.2025 को एक आदेश पारित किया जिसमें यह टिप्पणी की गई कि निरीक्षण आख्या में उन विभिन्न बिंदुओं के संबंध में विशिष्ट संकेत दिया गया था जिन पर निरीक्षण किया गया था और यह भी कि प्रतिवादी संख्या 9 के बेटे विपिन सिंह के बैंक खाते में 11,83,000/- रुपये की राशि स्थानांतरित की गई थी, जो राशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों को देय मजदूरी से संबंधित थी। न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि प्रतिवादी संख्या 9 के बेटे के बैंक खाते में यह राशि क्यों जमा की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था और जहाँ दिनांक 07.05.2024 की निरीक्षण आख्या तस्वीरों के साथ स्पष्ट निष्कर्षों के साथ बहुत विशिष्ट थी, वहीं पिछली आख्या को अमान्य करने के उद्देश्य से तस्वीरों के साथ एक अन्य आख्या प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने बाद की आख्या को एक 'मनगढ़ंत दस्तावेज' पाया और इसे पूर्व की आख्या में बताए गए दोषों को सुधारने के बाद तैयार किया गया पाया।

7. उपर्युक्त तथ्यों पर ध्यान देने के पश्चात, न्यायालय ने जिलाधिकारी को निरीक्षण आख्या दिनांक 07.05.2024 और पत्र दिनांक 21.06.2024 में किए गए संकेतों के संबंध में उपजिलाधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के किसी अधिकारी द्वारा एक नई जांच संस्थित करने का निर्देश दिया, जिसे अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई थी।



8. उक्त आदेश के अनुसरण में, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 18.04.2025 को उपजिलाधिकारी, हंडिया, प्रयागराज द्वारा दी गई आख्या दिनांक 17.04.2025 प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी की ओर से की गई गड़बड़ियों को पाया गया। न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता को जिलाधिकारी से इस संबंध में अनुदेश प्राप्त करने हेतु समय प्रदान किया कि उपजिलाधिकारी द्वारा की गई जांच पर क्या कार्रवाई प्रस्तावित थी।

9. उक्त आदेश के अनुसरण में, स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.05.2026 को अनुदेश प्रस्तुत किए गए, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह इंगित किया गया कि कतिपय आरोपों के संबंध में नई जांच करने पर, प्रतिवादी संख्या 9 तथा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव दोषी पाए गए और उन्हें कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.05.2025 जारी किए गए। तत्पश्चात, प्रकरण पर दिनांक 26.08.2025 को सुनवाई हुई, जिस तिथि को स्थायी अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त अनुदेश प्रस्तुत किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया गया कि श्रीमती सुगंधा शुक्ला, ग्राम विकास अधिकारी और सुश्री नेहा कामले, ग्राम विकास अधिकारी (महिला) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तथा तत्कालीन सचिव श्री सुदामा राम गावड़े के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दिया गया है और जहाँ तक ग्राम प्रधान का संबंध था, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(जी) के अंतर्गत कार्रवाई के निस्तारण तक उनके वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए थे।

10. इसके बाद प्रकरण पर दिनांक 03.11.2025 को सुनवाई हुई, जिस तारीख को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

- “1. दिनांक 26.08.2025 को ग्राम विकास अधिकारी, सचिव और ग्राम प्रधान को दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध शुरू की गई कार्रवाई के संबंध में अनुदेश प्रस्तुत किए गए थे।
2. शुरू की गई कार्रवाई की स्थिति के संबंध में अनुदेश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था।
3. प्रतिवादी संख्या 9-ग्राम प्रधान की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित आदेश को



विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट-सी संख्या 25303 वर्ष 2025 में आदेश दिनांक 01.08.2025 द्वारा निरस्त कर दिया है।

4. दिनांक 27.10.2025 के प्रस्तुत अनुदेश इंगित करते हैं कि अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है और ग्राम प्रधान के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 को स्थगित कर दिया गया है। अनुदेशों के साथ दिनांक 01.08.2025 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. प्रस्तुत अनुदेशों से यह स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट सहित प्रतिवादियों ने दिनांक 01.08.2025 के आदेश को पढ़ा तक नहीं है, जिसमें दिनांक आदेश 22.07.2025 को स्थगित नहीं किया गया है बल्कि उसे निरस्त कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनुचित व्याख्या बिना किसी कारण के नहीं है क्योंकि दिनांक 01.08.2025 के आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को नया आदेश पारित करने से नहीं रोकेगा और स्पष्ट रूप से ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने की अनिच्छा के कारण, आदेश को दिनांक 22.07.2025 के आदेश के स्थगन के रूप में पढ़ा गया है। प्रतिवादी संख्या 2-जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इस तरह के कृत्य/प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता अनुदेश प्राप्त करने के लिए समय प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

7. अनुदेश प्राप्त करने के स्थान पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को जिला मजिस्ट्रेट को अवश्य ही यह परामर्श देना चाहिए कि उन्हें न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को उचित रूप से पढ़ने के बाद विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि कार्यालय के लिपिकों पर निर्भर रहना चाहिए। उक्त टिप्पणियां इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई हैं कि यद्यपि अनुदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए बताए गए हैं, फिर भी उन पर जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और प्रति स्वयं जिला मजिस्ट्रेट को अंकित की गई है।

8. अगली तिथि से पहले आवश्यक कार्रवाई की जाए।

9. याचिका को दिनांक 07.01.2026 को नए वादों की सूची में सूचीबद्ध करें।”

11. इसके बाद, जब कोई और अनुदेश प्रदान नहीं किए गए, तो न्यायालय ने दिनांक 07.01.2026 को निम्नानुसार संप्रेक्षण किया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“3. आदेश दिनांक 03.11.2025 को पारित किया गया था और आदेश पारित होने के बाद से दो माह बीत चुके हैं और प्रतिवादियों ने, स्पष्ट रूप से, इस विषय पर स्थायी अधिवक्ता को अनुदेश देने की परवाह नहीं की है।

4. याचिका को दिनांक 05.02.2026 को नए वादों की सूची में सूचीबद्ध करें।

5. उस तिथि को या तो स्थायी अधिवक्ता को अनुदेश प्रदान किए जाएंगे अन्यथा जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस आदेश की सूचना जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को दें।”

12. इसके बाद प्रकरण पर दिनांक 09.07.2026 को सुनवाई हुई, जिस तिथि को प्रतिवादी संख्या 9 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किए कि अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत एक आदेश पारित किया गया था, हालांकि, उसे रिट-सी संख्या 25303 वर्ष 2025 में दिनांक 01.08.2025 को अपास्त कर दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट के लिए नया आदेश पारित करने का विकल्प खुला छोड़ दिया गया था। न्यायालय ने उक्त तथ्य पर संज्ञान लेने के बाद, दिनांक 09.07.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 और 9 के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश की मांग करते हुए योजित की गई है।

2. कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि प्रतिवादी संख्या 9 के विरुद्ध उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, हालांकि, उक्त आदेश को रिट-सी संख्या 25303 वर्ष 2025 में दिनांक 01.08.2025 को अपास्त कर दिया गया था, हालांकि, उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 के लिए नया आदेश पारित करने का विकल्प खुला छोड़ दिया गया था।

3. दिनांक 27.04.2026 के अनुदेश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 9 और अन्य के विरुद्ध एक नई जांच की गई थी जिसमें उनके विरुद्ध गड़बड़ी के आरोप स्थापित हो गए हैं और उन्हें दिनांक 27.04.2026 यानी अनुदेश प्रस्तुत करने की तिथि को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

4. चूंकि प्रस्तुत अनुदेश दिनांक 27.04.2026 के हैं, इसलिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 और अन्य को निर्गत किए गए दिनांक 27.04.2026 के कारण बताओ



नोटिस के परिणाम के संबंध में नए अनुदेश प्राप्त करने के लिए समय प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

5. वर्तमान याचिका को जनहित याचिका संख्या 762 वर्ष 2026 से पृथक करें।

6. दिनांक 14.08.2026 को नए वादों की सूची में सूचीबद्ध करें।”

13. आज, अर्थात् दिनांक 14.08.2026 को, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत अनुदेश दिनांकित 10.08.2026 प्रस्तुत किए हैं, जिसके साथ आदेश दिनांकित 08.07.2026 की प्रति संलग्न है, जिसके द्वारा प्रधान (प्रतिवादी संख्या 9) की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई थीं और शासनादेश दिनांकित 29.05.2026 के आलोक में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था।

14. प्रतिवादी संख्या 9 के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष रिट-सी संख्या 28087 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांकित 23.07.2026 की प्रति प्रस्तुत की। उक्त रिट याचिका दिनांक 08.07.2026 के आदेश को चुनौती देते हुए योजित की गई थी जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई थीं।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किये हैं कि प्रतिवादी संख्या 9 के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यहाँ तक कि उनके द्वारा अपने बेटे के साथ मिलीभगत कर गबन की गई राशि भी अभी तक उनसे वसूल नहीं की गई है।

16. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आदेश दिनांकित 08.07.2026 के अनुसरण में जांच लंबित है, जिसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा।

17. प्रतिवादी संख्या 9 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि रिट-सी संख्या 28087 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2026 में धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत आदेश को पहले ही 'बिना किसी कानूनी प्रभाव का' माना जा चुका है और प्रतिवादी संख्या 9 को जांच में सभी आपत्तियां उठाने की अनुमति दी गई है, इसलिए कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

18. हमने दिए गए तर्कों पर विचार और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

19. वर्तमान रिट याचिका के संस्थित होने से लेकर आज तक के घटनाक्रम का विवरण ऊपर विस्तार से दिया गया है। वे एक गंभीर प्रकरण को दर्शाते हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 9 को दोषी



पाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व आदेश अपास्त होने के बाद दूसरी बार अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत उनकी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को समाप्त कर दिया गया।

20. दिनांक 08.07.2026 के आदेश के संबंध में पारित आदेश का क्या प्रभाव है, इसके लिए प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा योजित रिट-सी संख्या 28087 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांकित 23.07.2026 के हिस्से को उद्धृत करना उचित होगा। यह निम्नानुसार है:

“2. स्वीकार्य रूप से, प्रधान के रूप में याचिकाकर्ता का वर्तमान कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए, आक्षेपित आदेश का प्रभाव, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां समाप्त कर दी गई थीं, अब कोई विधिक परिणाम नहीं रखता है।

3. न्यायालय यह भी संज्ञान में लेता है कि वर्तमान में, शासनादेश दिनांकित 25.05.2026 और 29.05.2026 प्रवृत्त हैं, जिसके अन्तर्गत निवर्तमान प्रधानों को नए चुनाव होने तक केवल प्रशासनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो किसी भी अन्य विधिक बाधा के अधीन वर्तमान याचिकाकर्ता की स्थिति को भी नियंत्रित करता है।

4. तदनुसार, रिट याचिका को इस टिप्पणी के साथ निस्तारित किया जाता है कि जहाँ तक उ.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 95 (1) (जी) के अन्तर्गत शुरू की गई जांच का संबंध है, याचिकाकर्ता विधि और तथ्यों पर सभी कानूनी रूप से स्वीकार्य तर्क, जिसमें आपत्तियां भी शामिल हैं, उठाने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि कोई हो, कि क्या दी गई परिस्थितियों में शुरू की गई जांच आगे बढ़ सकती है या नहीं।

21. उपरोक्त आदेश विद्वान स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत अनुदेशों का भी हिस्सा है और इसके अवलोकन पर, हम पाते हैं कि यद्यपि रिट न्यायालय ने अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत लंबित जांच का संज्ञान लिया है और याचिकाकर्ता को विधि के साथ-साथ तथ्यों पर भी सभी विधिक रूप से स्वीकार्य तर्क उठाने की स्वतंत्रता दी है, जिसमें आपत्तियां भी शामिल हैं, कि क्या दी गई परिस्थितियों में शुरू की गई जांच आगे बढ़ सकती है या नहीं, साथ ही आदेश के दूसरे प्रस्तर में यह टिप्पणी की गई है कि प्रधान के रूप में प्रतिवादी संख्या 9 का वर्तमान कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए आक्षेपित



आदेश दिनांक 08.07.2026 का प्रभाव, जिसके द्वारा उनकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां समाप्त कर दी गई थीं, का अब कोई विधिक परिणाम नहीं है।

22. यद्यपि, हम रिट-सी संख्या 28087 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांकित 23.07.2026 के विरुद्ध किसी अपील की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से प्रभावी है और पदच्युति के आदेश का परिणाम, यदि पारित किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों से ही देखा जा सकता है। न्यायालय अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (2) को संदर्भित करना उचित समझता है, जो निम्नानुसार है:

(2) “इस धारा की उप-धारा (1) के खंड (जी) के उप-खंड (iii) और (iv) के अन्तर्गत पदच्युत किए गए व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पद पर पांच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि के लिए, जो राज्य सरकार किसी भी प्रकरण में आदेश दे, फिर से निर्वाचित या फिर से नियुक्त होने का अधिकार नहीं होगा।”

23. उप-धारा (2) के अवलोकन से इंगित होता है कि यदि किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती प्रावधान के अन्तर्गत पदच्युत किया जाता है, तो वह अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी पद पर पांच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि के लिए जो राज्य सरकार किसी भी प्रकरण में आदेश दे, फिर से निर्वाचित या फिर से नियुक्त होने का हकदार नहीं होगा।

24. अधिनियम में आगे दंडात्मक प्रावधान हैं और अधिनियम की धारा 27 के प्रासंगिक अंश को संदर्भित करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:

“27. अधिभार - (1) ग्राम पंचायत का प्रत्येक प्रधान, ग्राम पंचायत का या इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित किसी संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत की धन या संपत्ति के नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसा नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग उसके प्रधान या सदस्य रहने के दौरान उसकी उपेक्षा या दुराचार का सीधा परिणाम है:

परंतु ऐसा दायित्व ऐसे नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग के होने से दस वर्ष की समाप्ति के बाद, या उत्तरदायी व्यक्ति के अपना पद छोड़ने की तारीख से पांच वर्ष बाद, जो भी बाद में हो, समाप्त हो जाएगा।



(2) निर्धारित प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार अधिभार की राशि तय करेगा जो निर्धारित की जाए और राशि को कलेक्टर को प्रमाणित करेगा, जो इस बात से संतुष्ट होने पर कि राशि देय है, इसे इस तरह वसूल करेगा मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो।”

(3).....

(4).....

25. स्पष्ट रूप से, धारा 27 भूतपूर्व प्रधान पर भी वित्तीय दायित्व निर्धारित करती है और केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से प्रधान नहीं रहता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति भी शामिल है, उसके कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले उसके दायित्व को समाप्त/विलोपित नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत कार्यवाही को छोड़ा नहीं जाएगा और न ही इसकी अनदेखी की जा सकती है।

26. ऊपर संदर्भित वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि रिट-सी संख्या 28087 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांकित 23.07.2026 के दूसरे प्रस्तर में की गई टिप्पणियां प्रतिवादियों के लिए आदेश दिनांकित 08.07.2026 के अनुक्रम में कार्यवाही को उनके तार्किक अंत तक ले जाने में बाधा नहीं बनेंगी और उक्त आदेश में प्रतिवादी संख्या 9 को लंबित जांच में आपत्तियां उठाने के लिए दी गई स्वतंत्रता को ऊपर संदर्भित वैधानिक प्रावधानों के आलोक में देखा जाना चाहिए न कि अलगाव में।

27. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 08.07.2026 व्यक्ति के संबंध में है और केवल इसलिए कि कार्यकाल समाप्त होने के कारण, शासनादेशों के कारण, प्रधान को प्रशासक के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया है, प्रतिवादी संख्या 9 जांच के लंबित रहने के दौरान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं।

28. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका की परिधि और याचिका के लंबित रहने के दौरान हुए घटनाक्रमों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर विस्तार से वर्णित है, हम वर्तमान रिट याचिका को **निस्तारित** करते हैं तथा प्रतिवादीगण को निर्देश देते हैं



कि प्रतिवादी संख्या 9 के विरुद्ध लंबित जांच का समापन, आज से चार माह की अवधि के भीतर, आदेश दिनांकित 08.07.2026 के अनुक्रम में विधि के अनुसार करें।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

14 अगस्त, 2026

शाजिया